IT cell

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश सं0 :- 11/ विविध - 05-15/2015...दिनांक........................

आदेश

तत्कालीन मुख्य अभियंता, भागलपुर वर्तमान में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नवगछिया के अंतर्गत कोशी नदी के दॉये तट पर अवस्थित सहोरा एवं मदरौनी ग्राम के नजदीक एजेंडा सं0 133/201 एवं 133/202 के तहत वर्ष 2016 बाढ़ पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्य से संबंधित क्रमशः एकरारनामा संख्या - 03SBD/2015-16 एवं 04SBD/2015-16 रामनन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0 लि0, बेगुसराय द्वारा सम्पादित किया गया है। इस कटाव निरोधक कार्य की जॉच उड़नदस्ता जॉच दल द्वारा करायी गई।

उड़नदस्ता द्वारा मदरौनी ग्राम के निकट 1291 मीटर से 1294 मीटर के बीच स्लोप में कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य में से एक अद्द क्रेट को खोलकर Sand replacement Method से Void की जॉच की गयी एवं 28.59 प्रतिशत Void पाया गया उसी प्रकार सहोरा ग्राम के निकट 09 मी. से 12 मी. पर स्लोप में 26.40 प्रतिशत Void पाया गया। इस प्रकार दोनों स्थलों पर Created Boulder Pitching कार्य में मानक के रूप में अधिकतम 20 प्रतिशत से अधिक Void पाया गया, जो कार्यपालक अभियंता शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल- 02 खगौल, पटना के जॉच प्रतिवेदन से प्रमाणित है। इसके साथ-साथ उड़नदस्ता जॉच दल द्वारा दोनो स्थल पर कराये गए बोल्डर क्रेटिंग कार्य में उपयोग किये गये बोल्डर के Size की जॉच की Weight Method से की गयी है। इसकी स्थलवार स्थिति निम्नवत पायी गयी है :-

क्र0 सं0	स्थल	Under Size	Over Size	Within Size
1	सहोरा	52.19 %	11.03%	36.75%
2	मदरौनी	51.59%	10.33%	38.07%

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सोहरा स्थल पर कराये गए बोल्डर क्रेटिंग कार्य में मात्र 36.75 प्रतिशत Within Size (40kg to 54.40kg) तथा मदरौनी स्थल पर मात्र 38.07 प्रतिशत Within Size (40kg to 54.40kg) का उपयोग किया गया है।

स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार बोल्डर क्रेटिंग कार्य में 3mx1.5mx0.6m of Mesh size 150mm x 150mm G.I Wine crate का उपयोग करना है। जबकि जॉच में क्रेट का साईज 3m x 1.5m x 0.6mm तो पाया गया लेकिन मेश साईज 150m x 150m नहीं पाया गया है। साथ ही स्वीकृत प्राक्कलन/एकरारनामा के अनुसार क्रेट में बोल्डर पिचिंग करने के बाद G.I Binding wire का उपयोग कर क्रेट को बॉधने का प्रावधान है। परन्तु स्थल जॉच में किसी भी क्रेट में G.I Binding wire का का इस्तेमाल किया हुआ नहीं पाया गया है।

कृ0पृ0उ0

उपर्युक्त आरोपो के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 4176 दिनांक 02.08.16 द्वारा संवेदक कंम्पनी से पन्द्रह दिनों के अन्दर कारण पृच्छा की मांग की गयी लेकिन संवेदक द्वारा कारण पृच्छा का जबाव समर्पित न कर उनके द्वारा इसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दो अदद याचिका दायर किये जाने की सूचना रिट की प्रति के साथ दी गई । इसके पश्चात मामले की समीक्षा की गयी और पाया गया कि माननीय न्यायालय में याचिका दायर कर देने मात्र से संवेदक को निर्दोष नहीं माना जा सकता है। साथ ही संवेदक को यह मंशा परिलक्षित होती है कि वे कारण पृच्छा का जवाब नहीं देना चाहते हैं ।

वैसी स्थिति में इस मामले में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर संवेदक के कृत को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11(क) (ii) में प्रावधानित कदाचार यथा – एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक की श्रेणी में प्रमाणित पाते हुए रामनन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0 लि0, ग्राम– मोहनपुर, भाया – रजौरा, पो0 – सुहादनगर, जिला – बेगुसराय के निबंधन संख्या 24/2009 (श्रेणी – प्रथम) को 10 वर्षो के लिए काली सूची में डाला जाता है।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक.................................. दिनांक...

स्पीड पोस्ट /निबंधित

प्रतिलिपिः– रामनन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0 लि0, ग्राम– मोहनपुर, भाया – रजौरा, पो0 – सुहादनगर, जिला – बेगुसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

(17)

ज्ञापांक 4532 दिनांक 19.8.2016

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ पथ निर्माण विभाग, पटना/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग, पटना/ भवन निर्माण विभाग, पटना/ लधु जल संसाधन विभाग, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजन एवं मो0 अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता योजना एवं मो0 अंचल 2 एवं 3 पटना/ निदेशक क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ आई.टी.मैनेजर को विभागीय, बेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।